ALL INDIA BANK OFFICERS' CONFEDERATION

(Registered under the Trade Unions Act 1926, Registration No.3427/Delhi)

6th Floor, E-Block, Samriddhi Bhavan, 1, Strand Road, Kolkata -700 001

c/o State Bank of India Officers' Association (Bengal Circle)

Phone: 2210-1234, Fax: (033) 2210-2210

e-mail: aiboc.sectt@gmail.com
soumyadatta.aiboc@gmail.com
website: www.aiboc.org
@aiboc_in

Date: 30.08.2019

प्रेस विज्ञप्ति

AIBOC ने मेगा बैंक विलय की निंदा करते हुए पुरजोर विरोध किया

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ (एआईबीओसी) बैंक अधिकारियों का सबसे बड़ा शीर्ष श्रमिक संगठन है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक के 3.20 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन केंद्रीय वित्त मंत्री की सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के थोक विक्री एकीकरण की घोषणा का पुरजोर विरोध करता है। सरकार द्वारा मर्जर को जिस प्रकार से घोषित करने का निर्णय लिया गया है उससे बैंक बोर्डों के स्वत्व अधिकार तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और हस्तांतरण)अधिनियम 1970 एवं 1980 का मखौल उड़ाया गया है। स्पष्ट कानूनी प्रावधानों तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के वावजूद भी बैंक बोर्ड में अधिकारी व कर्मचारी निदेशकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। किसी भी हालत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा इसके अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध लिए गए गैरकानूनी निर्णयों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा बैंक मर्जर के लिए बताए गए कारण भ्रामक है तथा तथ्यों के विपरीत है। भारतीय स्टेट बैंक में विलय के उपरांत आरंभ वित्तीय तनाव का संकट अभी भी थमा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा- देना बैंक-विजया बैंक के विलय से भी कोई सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। विलय का निर्णय माननीय वित्त मंत्री द्वारा सरकार के $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में बताए गए एक उत्प्रेरक होने के बजाय प्रमुख बाधा होगा ।

सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंक विलय करके 4 नए बैंकों का निर्माण; केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक; यूनियन बैंक, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक; पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक; तथा इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक का विलय केवल उन्हें बड़ी बैलेंस शीट बनाने में तथा एनपीए को छुपाने और नुकसान को अवशोषित करने के लिए सक्षम करेगा। यह एनपीए वसूली के मुख्य मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए परिवर्तन किया गया है। । यह सामान्य ज्ञान है कि विलय के द्वारा बैंकों के बैलेन्स शीट्स की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

सरकार का वास्तविक उदेश्य न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का अरबों रूपए चुकाने के दोषी बड़े अपराधी कॉर्पोरेट घरानों को ऋण ग्रस्तता से बाहर निकालना है अपितु उन्ही के हाथों में बेचना तथा एनबीएफ़सी व फिन-टेक कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर हावी होने के लिए मार्ग प्रशस्त करना भी है। एआईबीओसी ने विजया बैंक तथा देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय का भी प्रखर विरोध किया था। हम इस मेगा मर्जर का भी राष्ट्व्यापी विरोध करेंगे क्योंकि यह बैंकिंग क्षेत्र के विराष्ट्रीयकरण तथा निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है।

सौम्य दत्ता

सौम्य दत्ता
महासचिव
मोबाईल – 9830044737